उपखण्ड अधिकारी फागी
सत्यमेव जयते
जिला – दूदू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 119/2017
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 05.04.2024

श्रीमति आशा पारीक पुत्री स्व. श्री सुरजनारायण उर्फ सुर्यनारायण पत्नि श्री नन्दकिशोर पारीक, निवासी प्लाट नम्बर 9 – बी, गिरधर कॉलोनी कुकर खेडा, हनुमान जी के मंदिर के पास, चौमू रोड, जयपुर ।

प्रार्थीया/अपीलांट

बनाम

1. संजय पारीक पुत्र प्रधुमन कुमार पारीक, निवासी मकान नम्बर 231 – 232 पुरोहित पाडा, ब्रहापुरी जयपुर राजस्थान।
2. श्रीमति बीना देवी पत्नि श्री प्रधुमन कुमार पारीक, मकान नम्बर 231 – 232, पुरोहित पाडा, ब्रहापुरी जयपुर, राजस्थान।
3. श्रीमति लीलावती पारीक धर्मपत्नि स्व. श्री सुरज नारायण उर्फ सुर्यनारायण पारीक, जाति पारीक, मकान नम्बर 231 – 232, पुरोहित पाडा, ब्रहापुरी जयपुर राजस्थान।
4. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत परवण तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
5. सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जयपुर हाल जिला दूदू।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री सुर्यप्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीनी/अपीलांट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 भू0राजस्व अधिनियम 1965 एवं आदेश 9 नियम 9 सपंठित धारा 151 सी0पी0सी

निर्णय दिनांक:–05.04.2024

प्रार्थीया/अपीलांट की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे तारीख पेशी दिनांक 31/05/2017 को न्याय आपके द्वार अभियान 2017 लोक अदालत राजस्व केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत परवण तहसील फागी में तारीख 31/05/2017 नियत की जाकर प्रार्थीया की अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में प्रार्थीया की अपील मुकदमा खारिज फरमाया गया। प्रकरण अपील मुकदमा केम्प कोर्ट परवण तहसील फागी मे नियत होने की जानकारी अपीलांट प्रार्थीया को नही थी और ना ही अपीलान्ट/प्रार्थीया को कोई नोटिस प्राप्त हुआ अपीलार्थीया के अधिवक्ता अन्य प्रकरण की पैरवी हेतु अन्य अदालत जयपुर किसी मुकदमें में अन्य न्यायालय में व्यस्त थे। उपरोक्त कारण से प्रार्थीया/अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता न्याय आपके द्वार अभियान 2017 लोक अदालत केम्प कोर्ट परवण में उपस्थित नही आये व अपील प्रकरण अदम पैरवी एंव अदम हाजरी में खारिज हो गया। प्रार्थीया/अपीलान्ट न्यायालय मे अपने अधिवक्ता के पास आई लेकिन प्रकरण की जानकारी नही हो सकी काफी प्रयास के बावजूद दिनांक 04/09/2017 को न्यायालय मे प्रमाणित प्रतिलिपी प्रकरण अपील की नकल

लगातार................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

प्रार्थना पत्र दिनांक 04/09/2017 खारिज आदेश दिनांक 31/05/2017 की नकल दिनोंक 06/09/2017 को प्राप्त को हुई जानकारी के दिन से अन्दर मियाद उक्त बाजदायरी प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन प्रार्थना मान्य न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद से माफी दिये जाने बाबत अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है व प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद में है। अपीलान्ट प्रार्थीया का लोक अदालत केम्प कोर्ट ग्राम परवण में वरवक्त सुनवाई उपस्थित नही हो सकी जो कि जानबुझकर नही होकर बल्कि परिस्थिती वंश न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट परवण में अनुपस्थिती में दिनांक 31/05/2017 की कार्यवाही प्रकरण को निरस्त की जाकर प्रकरण को पुनः नम्बर रेस्टोर किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रकरण को रेस्टोर नही किया गया तो प्रार्थीया अपने सम्पत्ति के अधिकारो से वंचित एंव भू राजस्व में दिये गये विधिक उपचारो से प्रार्थीया वंचित हो जायेगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी जरिये रजि0 एडी जारी की गई। रेस्पोडेन्टस सं0 01 लगायत 5 वाद तामिल (बाबजूद सूचना) के हाजिर अदालत नही आये। इसलिये रेस्पोडेन्टस सं0 01 लगायत 5 के विरूद्व दिनांक 14.03.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस एकतरफा सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये पूर्व मे दिनांक 31.05.2017 को की गई कार्यवाही को निरस्त फरमाते हुये अपील मु0न0 02/2012 को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश कियेः– आर0आर0टी0 2018(1) पेज 582

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की पूर्व मे विचाराधीन प्रकरण मु0न0 02/2012 अपील नामान्तकरण विचाराधीन था जिसे राजस्व कैम्प परवण मे अदम हाजरी व अदम पैरवी मे दिनांक 31.05.2017 को खारिज किया गया था। पूर्ववर्ती प्रकरण की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट व अपीलान्ट के अधिवक्ता को कैम्प कोर्ट मे उपस्थित होने बाबत किसी प्रकार से कोई सूचना/नोटिस नही दिया गया। जिस कारण जानकारी के अभाव मे अपीलान्ट/अधिवक्ता उपस्थित नही हो सके। जिस कारण राजस्व कैम्प कोर्ट मे अपीलान्ट का अपील प्रार्थन पत्र अदम हाजरी व अदम

लगातार...............3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

पैरवी मे खारिज फरमाया गया। मूल अपील प्रार्थना पत्र मैरिट पर निस्तारण नहीं होने के कारण अपीलान्ट न्याय से वंचित हो सकता है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी अपने निर्णय दिनांक 12 दिसम्बर 2017 मे माना है कि राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा मे शिविर के दौरान प्रकरणो मे आपसी समझाइश से निस्तारण के लिये रखा जाता है ना कि तकनीकी आधार पर कारण ढूंढकर खारिज करने के लिए। इसलिए प्रार्थी/अपीलान्ट को मूल अपील प्रार्थना पत्र मे सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर मूल अपील प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार ।।)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू